संख्या-326/2018/3237 /पॉच-6-18-16(बजट)/18

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 11 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-247/2018/1222(ग)/पांच-6-2018-16(बजट)/18, दिनांक 03.07.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-299/2018/1222(घ)/पांच-6-2018-16(बजट)/18, दिनांक 13.09.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय तिमाही (माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) हेतु उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 लखनऊ के माध्यम से औषधियों का क्रय सुनिश्चित किये जाने हेतु कुल रू0 14375.00 लाख (रू0 एक अरब तिरालिस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अपरिहार्य कारणों से कार्पोरेशन द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर औषधियों की आपूर्ति नहीं की जा सकी है तथा इसमें और समय लगने की सम्भावना है।

2- अत: तृतीय तिमाही में चिकित्सालयों में औषधियों की तात्कालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार **कुल रू0 14375.00 (रू0 एक अरब तिरालिस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपया लाख में)

अनुदान संख्या/ योजना का विवरण	**वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की गयी धनराशि**	**अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) - राजस्व लेखा			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें - एलोपैथी 001- निदेशन तथा प्रशासन			
04- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय	31500.00	23625.00	7875.00
10-एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय (ग्रामीण चिकित्सालय)	26000.00	19500.00	6500.00
योग- (32)	**57500.00**	**43125.00**	**14375.00**

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में औषधियों एवं उपकरणों व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के क्रय हेतु मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन की स्थापना शासनादेश संख्या-1981/पॉच-1-2016-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5(36)/2017 दिनांक 03.10.2017 द्वारा कर दी गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में राज्य बजट से औषधियों एवं उपकरणों के क्रय के लिए निर्धारित बजट के व्यय की व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन अभी तक पूर्णतया क्रियाशील नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में तात्कालिक व्यवस्था हेतु चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये:-

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय तिमाही (माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 25 प्रतिशत धनराशि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को तत्काल आवंटित कर दी जाये।
- औषधियों का क्रय डी0बी0डी0एम0एस0 पर पूर्व की भॉति केन्द्रीय औषधि भण्डार की दर अनुबन्ध के साथ-साथ शासनादेश संख्या-234/पॉच-1-2016-3(14)/04, दिनांक 24.02.2016 में उल्लिखित डी0जी0एस0एन0डी0/ ई0एस0आई0सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन, आई0डी0पी0एल0 (इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0 नई दिल्ली) बी0सी0पी0एल0 (बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0 कोलकाता), एच0ए0एल (हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि0 पुणे), के0ए0पी0एल0 (कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0 बंगलौर, आर0डी0पी0एल0 (राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि0 जयपुर), राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन, जयपुर अथवा गुजरात मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन गांधी नगर आदि की दरों का समावेश किया जायें। जिस किसी भी संस्था की दरें न्यूनतम हो उस पर दर अनुबन्ध अथवा मात्रा दर से अनाच्छादित औषधियॉ क्रय की जा सकेंगी तथा केवल डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से ही औषधियों के क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ईशिन्सियल ड्रग लिस्ट (ई0डी0एल0) के अतिरिक्त अन्य जीवन रक्षक दवाओं की चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होगें।
- स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय हेतु शासनादेश संख्या-833/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.2012 के अनुसार उपलब्ध निर्धारित सीमा तक औषधियों का स्थानीय क्रय उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि मे से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा ।

(7) उक्त शासनादेश संख्या-247/2018/1222(ग)/पांच-6-2018-16(बजट)/18, दिनांक 03.07.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-299/2018/1222(घ)/पांच-6-2018-16(बजट)/18, दिनांक 13.09.2018 द्वारा तृतीय तिमाही हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग चतुर्थ तिमाही के लिए किया जाना महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/ उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-326/2018/3237(1)/पॉच-6-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(9) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(10) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उ0प्र0 शासन।
(12) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।.
(13) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
(14) विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।